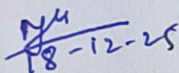


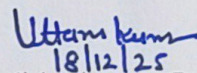
आज दिनांक-18/12/2025 (गुरुवार) को मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत लखीसराय वन प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-333A (किलोमीटर 0 से 72 के बीच) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर Forest Area Calculation का प्रयोक्ता एजेंसी एवं अन्य सम्बंधित पक्षों के साथ संयुक्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के कार्यालय पत्रांक- 4164 दिनांक- 17/12/2025 से राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-333A के 0 किलोमीटर से 72 के बीच आने वाले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर Forest Area Calculation से सम्बंधित निर्देश प्राप्त हुआ।

सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सं०-02, बिहारशरीफ के साथ संयुक्त स्थलीय जाँच के क्रम में मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत लखीसराय वन प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-333A (0 किलोमीटर से 72 के बीच) वन भूमि का Forest Area Calculation हेतु मापी किया गया। जिसका कुल रकवा 7.64 हेक्टेयर पाया गया।


18-12-25

सहायक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सं०-02,
बिहारशरीफ


18/12/25

वनो के क्षेत्र पदाधिकारी
लखीसराय वन प्रक्षेत्र।

Forest Area Calculation of NH-333A (KM 0 to 72) Under Munger Forest division,Munger in Lakhisarai Range

District	Chainage (KM)		Length (KM)	Width(m)	Forest Area width(m)	Forest area (Ha)
Lakhisarai (33.3-39.2)	33.8	34.4	0.6	18	11	0.66
	34.4	34.6	0.2	30	15	0.3
	34.6	35.15	0.55	18	11	0.605
	35.15	39.2	4.05	30	15	6.075
Total Forest Area						7.64

Handwritten signature
18-12-25

सहायक अभियंता

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सं०- 02

बिहारशरीफ

Handwritten signature
18/12/25

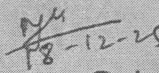
वनो के क्षेत्र पदाधिकारी

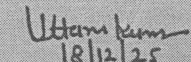
लखीसराय वन प्रक्षेत्र।

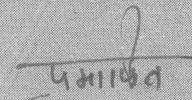
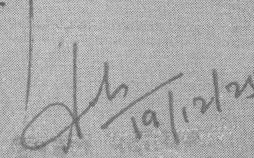
आज दिनांक-18/12/2025 (गुरुवार) को मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत लखीसराय वन प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-333A (किलोमीटर 0 से 72 के बीच) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर Forest Area Calculation का प्रयोक्ता एजेंसी एवं अन्य सम्बंधित पक्षों के साथ संयुक्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के कार्यालय पत्रांक- 4164 दिनांक- 17/12/2025 से राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-333A के 0 किलोमीटर से 72 के बीच आने वाले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर Forest Area Calculation से सम्बंधित निर्देश प्राप्त हुआ।

सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सं०-02, बिहारशरीफ के साथ संयुक्त स्थलीय जाँच के क्रम में मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर अंतर्गत लखीसराय वन प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-333A (0 किलोमीटर से 72 के बीच) वन भूमि का Forest Area Calculation हेतु मापी किया गया। जिसका कुल रकबा 7.64 हेक्टेयर पाया गया।

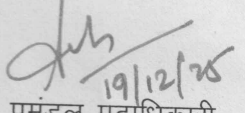

सहायक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सं०-02,
बिहारशरीफ


18/12/25
वनो के क्षेत्र पदाधिकारी
लखीसराय वन प्रक्षेत्र।


पमांकित

19/12/25
वन प्रमंडल, मुंगेर

मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के लखीसराय जिलान्तर्गत NH-333A लखीसराय से शेखपुरा सीमा तक (कि० मी० ०-72 कि० मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 7.64 हे० वन भूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव का क्षेत्रफल गणना प्रतिवेदन।

दिनांक-18.12.2025 को लखीसराय जिला अंतर्गत लखीसराय जिलान्तर्गत NH-333A लखीसराय से शेखपुरा सीमा तक (कि० मी० ०-72 कि० मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 7.6 हे० वन भूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव का क्षेत्रफल गणना वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, लखीसराय वन प्रक्षेत्र एवं सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सं०-02 बिहारशरीफ द्वारा किया गया। जिसमें उनके द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का रकवा 7.64 हे० प्रतिवेदित किया गया।


19/12/25
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर।